रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 776] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938
No. 776] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1048(अ).—जबकि इसमें उल्लिखित विभिन्न श्रम संबंधी विधियों की अपेक्षाओं के सुगम, और समीचीन अनुपालन हेतु तथा ऐसी सभी विधियों के लिए संयुक्त रजिस्टर रखने के प्रयोजनार्थ;

और जबकि ऐसे संयुक्त रजिस्टर को उपलब्ध कराने का आशय उक्त श्रम संबंधी विधियों और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों को अधिक विनिर्दिष्ट रूप से इलेक्ट्रोनिक रुप में, जिसमें ऐसे रजिस्टरों के अनुरक्षण हेतु उपबंध किए गए हैं, हित साधन करना है;

जबकि प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत अनुरक्षण और निरीक्षण की सुगमता को सुकर बनाएगा, तथा इलैक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा जनता तक आसानी से पहुँच-योग्य भी बनाएंगे जिससे;

और जबकि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए पृथक् नियमों के बनाए जाने का विभिन्न श्रम संबंधी विधियों के अधीन उपबंधित रजिस्टरों के संदर्भों को सरल बनाने में फायदा होगा जिससे लोक प्रयोजन की बेहतर ढंग से पूर्ति होगी।

और जबकि पूर्वोक्त प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए विभिन्न श्रम विधि नियम, 2016 के अधीन रजिस्टरों को रखने के लिए अनुपालन की सुगमता का निम्नलिखित प्रारूप जिस केन्द्रीय सरकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है,-

और जबकि उपरोक्त प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, 2016 श्रम कानूनों के विभिन्न नियम , के अंतर्गत रजिस्टर बनाने के लिए अनुपालन की सुगमता का निम्नलिखित मसौदा जिसे तैयार करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रखती है:-

(क) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 तथा विशेषज्ञ समिति के परामर्श के पश्चात;

(ख) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970(1970 का 37) की धारा 35;

(ग) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा;

(घ) अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979(1979 का 30) की धारा 35;

(ङ) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 के साथ पठित धारा 58 और उक्त धारा 59 की उप-धारा (4) की अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात् ;

(च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 और धारा 30;

(छ) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 26;

(ज) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) की धारा 12;

(झ) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 20;

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अध्याय 3 के साथ पठित साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 23 उन सभी व्यक्तियों जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र जिसमें यह सूचना प्रकाशित की जाती है, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेपों या सुझावों को, यदि कोई हों, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001 को भेजे जा सकेंगे।

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **कतिपय श्रम संबंधी विधियों के अधीन रजिस्टरों का रख रखाव:-** (1) निम्नलिखित के अधीन बनाए गए किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी:-

   (i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें का विनियमन) अधिनियम, 1996(1996 का 27);

   (ii) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37);

   (iii) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976(1976 का 25);

   (iv) अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979(1979 का 30);

   (v) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35);

   (vi) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11);

   (vii) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936(1936 का 4);

   (viii) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का 11);

   (ix) श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45);

इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में संयुक्त रजिस्टर या तो इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा बनाए जाएंगे तथा इनके अधीन बनाए गए पूर्वोक्त अधिनियमितियों और नियमों जो इसमें निर्दिष्ट हैं, के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे ।

(2) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संयुक्त रजिस्टर उक्त उप-नियम में निर्दिष्ट अधिनियमितियों में से किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त संबंधित निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए अपेक्षित होता है, तो यथास्थिति संबंधित व्यक्ति सूचना को सुगम बनाने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक संयुक्त रजिस्टर उपलब्ध कराएगा या आवश्यक विशिष्टियों का उपबंध करेगा ।

(3) जहाँ उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई रजिस्टर इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में बनाया रखा जाता है, वहाँ, रजिस्टर के विन्यास और प्रस्तुति को रजिस्टर के स्तंभों की अक्षतता, क्रम संख्यांक और अंतर्वस्तु में परिवर्तन किए बिना, किंतु अन्यथा नहीं, समायोजित किया जा सकेगा ।

3. कतिपय नियमों का संशोधन:- निम्नलिखित नियम में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे संशोधन से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है नीचे विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(i) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 में,-

(क) नियम 240 में, " इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 15" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क अधीन रजिस्टर बनाने के सुगम अनुपालन की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र " शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 241 में, उप-नियम (1) में:-

(क) खण्ड (क) में, "इन नियमों से उपाबद्ध क्रमश: प्ररूप 16 और प्ररूप 17 में हाजिरी रजिस्टर और मजदूरी रजिस्टर" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में क्रमश: विनिर्दिष्ट प्ररूप ख और प्ररूप घ में मजदूरी रजिस्टर और हाजिरी " शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, "इन नियमों से उपाबद्ध क्रमश: प्ररूप 19, प्ररूप 20 और प्ररूप 21 में " शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खण्ड (ग) में, "इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 22 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; और

(ग) प्ररूप 15, प्ररूप 16, प्ररूप 17, प्ररूप 19, प्ररूप 20 और प्ररूप 21 तथा प्ररूप 22 का लोप किया जाएगा।

(ii) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में –

(अ) नियम 75 में, "प्ररूप 13 में" शब्द और अंक के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क में" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(आ) नियम 78 के खंड (क) में -

(क) उप-खंड (i) में –

(क) "क्रमश: प्ररूप 16 और प्ररूप 17" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में क्रमश: विनिर्दिष्ट प्ररूप घ और प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-खंड (ii) में "क्रमश: प्ररूप 20, प्ररूप 21 और प्ररूप 22" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) उप-खंड (iii) में "प्ररूप 23 " शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(इ) प्ररूप 13, प्ररूप 16, प्ररूप 17, प्ररूप 20, प्ररूप 21, प्ररूप 22 और प्ररूप 23 का लोप किया जाएगा;

(iii) समान पारिश्रामिक नियम,1976 में –

(क) नियम 6 में, "प्ररूप घ में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) प्ररूप घ का लोप किया जाएगा;

(iv) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम 1980 में –

(अ) नियम 49 में "प्ररूप 13 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) नियम 52 के उप-नियम (2) में –

(क) खंड (क) में "क्रमश: प्ररूप 17 और प्ररूप 18 में" शब्दों, अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में क्रमश: विनिर्दिष्ट प्ररूप घ और प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) में "क्रमश: प्ररूप 19, प्ररूप 20 और प्ररूप 21 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खंड (घ) में "प्ररूप 22 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में" शब्द शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(इ) प्ररूप 13, प्ररूप 17, प्ररूप 18, प्ररूप 19, प्ररूप 20, प्ररूप 21 और प्ररूप 22 का लोप किया जाएगा;

(V) खान नियम 1955 में-

(क) नियम 48 के उप-नियम (3) में, "प्ररूप ख,ग,घ और ड. में" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में क्रमश: विनिर्दिष्ट प्ररूप क और प्ररूप घ में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) नियम 49 के उप-नियम (4) में, "प्ररूप च में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ड. में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) नियम 51 में, "प्ररूप ख में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) नियम 53 के उपनियम (1) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "प्ररूप छ और प्ररूप ज में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ड. में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ड.) नियम 59 में, "प्ररूप झ में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) नियम 77 में, "प्ररूप ख में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(छ) नियम 77क के उप-नियम (2) में, "प्ररूप ख में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ज) नियम 78 में –

(क) उप-नियम (1) में "क्रमश: प्ररूप ग, प्ररूप घ और प्ररूप ड. में" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप घ में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में " प्ररूप ग में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप घ में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) उप-नियम (3) में "प्ररूप घ और प्ररूप ड. में " शब्दों और अक्षरों के स्थान पर विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट प्ररूप घ में " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; और

(झ) प्ररूप ख, प्ररूप ग, प्ररूप घ, प्ररूप ड., प्ररूप च, प्ररूप छ, प्ररूप ज और प्ररूप झ का लोप किया जाएगा;

(vi) न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम,1950 में –

(अ) नियम 21 के उप-नियम (4) में, "क्रमश: प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) नियम 25 के उप-नियम (2) में "प्ररूप 4 में" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(इ) नियम 26 में -

(क) उप-नियम (1) में "प्ररूप 10 में" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (1क) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (5) में, "प्ररूप 5 में और स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की हाजिरी उस प्ररूप में प्रतिदिन अभिलिखित की जाएगी" शब्दों और अंक के स्थान पर, "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप घ में और स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की हाजिरी उस प्ररूप में प्रतिदिन अभिलिखित की जाएगी" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 4, प्रपत्र 5 तथा प्रपत्र 10 का लोप किया जाएगा;

(vii) मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवाएं) नियम, 1968 में –

(अ) नियम 4 में,-

(क) उपनियम (2) में "प्ररूप 2 में" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (5) में, "प्ररूप 2 के भाग 2" शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपनियम (2) में निर्दिष्ट रजिस्टर" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(आ) नियम 5 में, "प्ररूप 3 में" शब्दों और अंक के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(इ) नियम 6 में, "क्रमश: प्ररूप 4 और प्ररूप 5 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमश: प्ररूप घ और प्ररूप ख में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ई) नियम 17 के उपनियम (3) में, "प्ररूप 9 में" शब्दों और अंक के स्थान पर, "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(उ) नियम 18, के उपनियम (3) में, “प्ररूप 10 में” शब्दों और अंक के स्थान पर, “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ऊ) प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 4, प्ररूप 5, प्ररूप 9 और प्ररूप 10 का लोप किया जाएगा;

(VIII) मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 में, -

(क) नियम 3 के उपनियम (1) में, “प्ररूप 1 में” शब्दों और अंक के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) नियम 4 में, “प्ररूप 2 में” शब्दों और अंक के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) नियम 5 में, “प्ररूप 3 में” शब्दों और अंक के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) नियम 17 के उपनियम (1) में, दोनों स्थानों पर आने वाले “प्ररूप 4क में” शब्दों, अक्षर और अंकों के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ख में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ड.) नियम 19, उपनियम (3) में, “प्ररूप 6 में” शब्दों और अंक के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 4-क तथा प्ररूप 6 का लोप किया जाएगा;

(IX) मजदूरी संदाय (रेल) नियम, 1938 में-

(क) नियम 3 के उपनियम (1) में, “प्ररूप 1 में” शब्दों और अंक के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) नियम 4, उपनियम (1) में, “प्ररूप 2 में” शब्दों और अंक के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) नियम 18, उपनियम (3) में, “प्ररूप 5 में” शब्दों और अंक के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) प्ररूप 1, प्ररूप 2 और प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा;

(X) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) नियम, 1976 में,-

(अ) नियम 23 में,-

(क) खंड (क) में, “प्ररूप ख में” शब्दों और अक्षर के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) में, “प्ररूप घ में” शब्दों और अक्षर के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खंड (घ) में, “प्ररूप ड. में” शब्दों और अक्षर के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ड. में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) प्ररूप ख, प्ररूप घ तथा प्ररूप ङ लोप किया जाएगा;

(XI) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध नियम, 1957 में,-

(अ) नियम 37 में,-

(क) खंड-(i) में, “प्ररूप घ में” शब्दों और अक्षर के स्थान पर “विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप क में” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iii) में, "प्ररूप च में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप ड. में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खंड (iv) में, शब्दों "प्ररूप छ में" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "विभिन्न श्रम विधियों के अधीन रजिस्टरों के रख रखाव के अनुपालन की सुगमता नियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप घ में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) प्ररूप घ, प्ररूप च और प्ररूप छ का लोप किया जाएगा।

टिप्पण:

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि.-689(अ) तारीख 19.11.98 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि.-471(अ) तारीख 10.06.2015 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।
- ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियम को भारत के राजपत्र में, सा.का.नि.-191 तारीख 10.02.1971 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि.-41(अ) तारीख 21.10.1999 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।
- समान पारिश्रमिक नियम,1976 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि.-119(अ) तारीख 11.03.1976 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें सा.का.नि.-514(अ) तारीख 31.07.1991 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।
- अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम,1980 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि.-513(अ) तारीख 11.08.1980 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें का.आ.-1614(अ) तारीख 10.06.2015 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।
- खान नियम, 1955 का.आ.-1421 तारीख 2.07.1955 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 707 (अ.) तारीख 21.07.1989 के द्वारा अंतिम संशोधित किया गया ।
- न्यूनतम मजदूरी (कें.) नियम, 1950 के का.आ.- 776 तारीख 14.10.1950 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा का.आ. 182 (अ.) तारीख 11.03.2015 के द्वारा अंतिम संशोधित किया गया ।
- मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवाएं) नियम, 1968 का.आ.-3036/पीडब्ल्यूए/ए/वायु सेवा नियम 68 द्वारा तारीख 05.08.1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 352 (अ.) तारीख 01.05.2015 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया ।
- मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 के का.नि.आ -776 तारीख 30.11.1956 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 351 (अ.) तारीख 01.05.2015 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया ।

- मजदूरी संदाय(रेलवे) नियम, 1938 भारत के राजपत्र में एल-3070(1) तारीख 05.05.1938 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा सा.का.नि.-353(अ.) तारीख 01.05.2015 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया;

- विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) नियम, 1976 भारत के राजपत्र में का.आ.-113(अ.) तारीख 08.03.1976 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा का.आ.-217(अ.) तारीख 24.02.2011 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया; और

श्रमजीवी पत्रकार(सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध नियम, 1957 भारत के राजपत्र में का.नि.आ -1737 तारीख 23.05.1957 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा का.आ.-889(अ.) तारीख 11.11.1980 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

अनुसूची

[नियम 2(1) देखें]

प्ररूप क

कर्मचारी रजिस्टर का रूपविधान

[भाग-क: सभी स्थापनाओं के लिए]

स्थापना का नाम_______________________________ एलआईएन_______________

क्र.सं.	कर्मचारी कोड	नाम	उपनाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	शिक्षा का स्तर	पदग्रहण की तारीख	पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रेणी	रोजगार का प्रकार	मोबाइल	यूएएन	पीएएन	ईएसआईसीआईपी	एलडब्ल्यूएफ	आधार	वर्तमान पता	स्थायी पता
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
सेवा पुस्तिका सं.	निकासी की तारीख	निकासी का कारण	पहचान के निशान	फोटो	नमूना हस्ताक्षर	टिप्पणी			
21	22	23	24	25	26	27			

नोट: यदि उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है तो कार्य की प्रकृति, कार्य के दैनिक घंटे और विश्राम अंतरालों का टिप्पणी स्तंभ में उल्लेख करें।

भाग ख (केवल खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के लिए)

कर्मचारी रजिस्टर में क्रमबद्ध संख्या	नाम	जारी की गई टोकन संख्या	उम्र/आरोग्यता का प्रमाण-पत्र (14 से 18 वर्ष तक के लिए)	नियोजन का स्थान (भूमिगत/ओपन कॉस्ट/भूतल)	व्यावसायिक संख्या	प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिनांक
1	2	3	4	5	6	7

नामिति		आपातकालीन स्थिति में संपर्क किया जाने वाला व्यक्ति			टिप्पणी
नाम	पता	नाम	पता	मोबाइल	
8	9	10	11	12	13

प्ररूप ख

मजदूरी रजिस्टर हेतु रूपविधान

दिनांक ----- से न्यूनतम मजदूरी की दर				
	अति कुशल	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
न्यूनतम मूल				
महंगाई भत्ता				
समयोपरि भत्ता				

स्थापना का नाम____________________________________एलआईएन________________________________

तारीख________से __________तक मजदूरी अवधि (मासिक/पाक्षिक /साप्ताहिक / दैनिक/पीस-दर)

कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या	नाम	कार्य दिवसों की संख्या	काम के अतिरिक्त घंटे	मूल	विशेष मूल	महंगाई भत्ता	समयोपरि भत्ता अदायगी	मकान किराया भत्ता	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कटौतियां								कुल अदायगी	नियोक्ता योगदान पीएफ
पीएफ	ईएसआईसी	आयकर	सोसायटी	बीमा	अन्य	वसूली	कुल		

									कल्याण निधि
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
कर्मचारी द्वारा पावती	अदायगी की तिथि	टिप्पणी							
22	23	24							

प्ररूप ग

ऋण वसूली रजिस्टर का रूपविधान

स्थापना का नाम____________________एलआईएन____________________________________

कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या	नाम	वसूली का प्रकार (क्षति/नुकसान/दंड/अग्रिम राशि/ऋण)	ब्यौरे	क्षति/नुकसान की तिथि	राशि	
1	2	3	4	5	6	
क्या कारण बताओ जारी किया*	इनकी मौजूदगी में सफाई सुनी गई*	किश्तों की संख्या	प्रथम मास /वर्ष	अंतिम मास /वर्ष	पूर्ण वसूली की तिथि	टिप्पणी
7	8	9	10	11	12	13

*केवल क्षति/नुकसान/दण्ड के मामले में ही लागू होगा

प्ररूप घ

उपस्थिति रजिस्टर का रूपविधान

स्थापन का नाम____एलआईएन__________________

से		की अवधि के लिए				
कर्मचारी रजिस्टर में क्रमबद्ध संख्या	नाम भीतर बाहर	कार्य का स्थल*	तारीख 1 2 3 4 31	संक्षिप्त विवरणी किए गए	कार्य के दिनों की संख्या	कार्य घंटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

*केवल खानों के मामले में कार्य का स्थल (भूमिगत/खुली खुदाई वाला/भूतल)

अगर कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है तो निम्नलिखित की प्रविष्ट की जाए:(विश्राम के लिए 'आर', सवेतन अवकाश के लिए 'एल' / अनुपस्थिति के लिए 'ए'/सप्ताहिक अवकाश के लिए 'ओ'/बंद संस्थान के लिए 'सी')

प्ररूप ड.

विश्राम/अवकाश के अंतर्गत अवकाश मजदूरी के रजिस्टर का रूपविधान

खान अधिनियम, 1952 विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 और श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1957

संस्थापनों के नाम________________________________एलआईएन______________________________

माह	वर्ष		के लिए			
कर्मचारी रजिस्टर में क्रमबद्ध संख्या	नाम		प्रातिपूरक विश्राम का विवरण प्रारंभिक शेष	अस्वीकृत विश्राम	लिया गया विश्राम	अतिशेष
1	2	3	4	5	6	
अर्जित अवकाश का विवरण प्रारंभिक शेष	लिया गया विश्राम	अतिशेष	अवकाश मजदूरी बकाया	वास्तविक भुगतान	टिप्पणी भुगतान की तारीख	
7	8	9	10	11	12	13

टिप्पण : वर्ष के लिए जनवरी मास के लिए रजिस्टर वर्ष के लिए अवकाश का प्रारंभिक अतिशेष भी दिखाएगा और दिसम्बर मास के लिए रजिस्टर वर्ष का अतिशेष दिखाएगा

[फा. संख्या Z-20025/27/2016-LRC]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2016

G.S.R. 1048(E).—Whereas for the ease of, and for the expedient compliance of the requirements of the various labour related laws referred to herein and for the purpose of maintaining combined registers for all such laws, it has become essential to frame separate rules for the said purpose;

And whereas the intention to provide such combined register is to sub-serve the purposes, more specifically electronically, of the said labour related laws and the rules made thereunder, wherein provisions have been made for maintenance of such registers;

And whereas combined registers provided under the proposed rules will facilitate ease of compliance, maintenance and inspection, and will also make the information provided thereunder easily accessible to the public through electronic means thereby increasing transparency;

And whereas making separate rules for the aforementioned purpose will benefit making references of registers provided under different labour related laws simple, which will serve public purpose in a better way;

And whereas to achieve the aforementioned purposes, the following draft of the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by,-

(a) section 62 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and after consultation with the expert committee;

(b) section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);

(c) section 13 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976);

(d) section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979);

(e) section 58 read with section 59 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and after complying with the requirements of sub-section (4) of said section 59;

(f) section 29 and section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948);

(g) section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936);

(h) section 12 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976); and

(i) section 20 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955);

and section 23 of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897) read with Chapter III of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of three months from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001;

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Maintenance of registers under certain labour related laws.- (1) Notwithstanding anything contained in any rules made under the,-

(i) Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996);

(ii) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970);

(iii) Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976);

(iv) Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979);

(v) Mines Act, 1952 (35 of 1952)

(vi) Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948);

(vii) Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936);

(viii) Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976); and

(ix) Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955);

the combined registers in the Forms specified in the Schedule to these rules shall be maintained either electronically or otherwise and used for the purposes, of the aforesaid enactments and the rules made thereunder, as specified therein.

(2) If the combined register referred to in sub-rule (1) is required for inspection by the concerned Inspector appointed under any of the enactments referred to in the said sub-rule, the concerned persons shall make available the combined registers or provide the necessary particulars for the purposes of accessing the information, as the case may be.

(3) Where any register referred to in sub-rule (1) is maintained in electronic form, then, layout and presentation of the register may be adjusted without changing the integrity, serial number and contents of the columns of the register, but not otherwise.

3. Amendment of certain rules .– The following rules shall be amended, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, in the manner specified below, namely:-

(i) in the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998,-

(A) in rule 240, for the words and figures "Form XV, annexed to these rules", the words, letter and figures "Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016 " shall be substituted;

(B) in rule 241, in sub-rule (1),-

(a) in clause (a), for the words and figures "muster-roll and a register of wages in Form XVI and Form XVII, respectively, annexed to these rules", the words, letters and figures, "register of wages and muster-roll in Form B and Form D respectively, specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words and figures "in Form XIX, Form XX and Form XXI, respectively, annexed to these rules", the words, letter and figures, " in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(c) in clause (c), for the words and figures "in Form XXII annexed to these rules", the words, letter and figures, " in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(C) Form XV, Form XVI, Form XVII, Form XIX, Form XX, Form XXI and Form XXII shall be omitted;

(ii) in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971,-

(A) in rule 75, for the words and figures "in Form XIII", the words, letter and figures, "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(B) in rule 78, in clause (a),-

(a) in sub-clause (i),-

(A) for the words and figures "in Form XVI and Form XVII respectively", the words, letters and figures, "in Form D and Form B, respectively, specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(B) the proviso shall be omitted;

(b) in sub-clause (ii), for the words and figures "in Form XX, Form XXI and Form XXII respectively", the words, letters and figures, "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(c) in sub-clause (iii), for the words and figures "in Form XXIII", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(C) Form XIII, Form XVI, Form XVII, Form XX, Form XXI, Form XXII and Form XXIII shall be omitted;

(iii) in the Equal Remuneration Rules, 1976, -

(A) in rule 6, for the words and letter, "in Form 'D'", the words, letter and figures, "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(B) Form D shall be omitted;

(iv) in the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980,-

(A) in rule 49, for the words and figures "in Form XIII", the words, letters and figures, "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(B) in rule 52, in sub-rule (2),-

(a) in clause (a), for the words and figures "in Form XVII and XVIII respectively", the words, letters and figures, "in Form D and Form B, respectively, specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(b) in clause (c), for the words and figures "in Forms XIX, XX and XXI respectively", the words, letter and figures, "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(c) in clause (d), for the words and figures "in Form XXII", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(C) Form XIII, Form XVII, Form XVIII, Form XIX, Form XX, Form XXI and Form XXII shall be omitted;

(v) in the Mines Rules, 1955,-

(A) in rule 48, in sub-rule (3), for the words and letters "in Forms B, C, D and E", the words, letters and figures, "in Form A and Form D, respectively, specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(B) in rule 49, in sub-rule (4), for the words and letter, "in Form F", the words, letter and figures "in Form E specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(C) in rule 51, for the words and letter, "in Form B", the words, letter and figures, "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(D) in rule 53, in sub-rule (1), for the words and letters "in Forms G and H" occurring at both the places, the words, letter and figures "in Form E specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall respectively be substituted;

(E) in rule 59, for the words and letter "in Form I", the words, letter and figures, "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(F) in rule 77, for the words and letter "in Form B", the words, letter and figures, "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(G) in rule 77A, in sub-rule (2), for the words and letter, "in Form B", the words, letter and figures "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(H) in rule 78,-

(a) in sub-rule (1), for the words and letters "in Forms C, D and E respectively", the words, letter and figures "in Form D specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words and letter "in Form C", the words, letter and figures "in Form D specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), for the words and letters "in Forms D and E", the words, letter and figures "in Form D specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(I) Form B, Form C, Form D, Form E, Form F, Form G, Form H and Form I shall be omitted;

(vi) in the Minimum Wages (Central) Rules, 1950,-

(A) in rule 21, in sub-rule (4), for the words and figures "in Forms I and II, respectively", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(B) in rule 25, in sub-rule (2), for the words and figures "in Forms IV", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(C) in rule 26,-

(a) in sub-rule (1), for the words and figure "in Form X", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(b) sub-rule (1A) shall be omitted;

(c) in sub-rule (5), for the words and figure "in Form V and the attendance of each person employed in the establishment shall be recorded daily in that Form", the words, letter and figures "in Form D specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016 and the attendance of each person employed in the establishment shall be recorded daily in that Form" shall be substituted; and

(D) Form I, Form II, Form IV, Form V and Form X shall be omitted;

(vii) in the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968,-

(A) in rule 4,-

(a) in sub-rule (2), for the words and figures "in Form II", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(b) in sub-rule (5), for the words and figures "Part II of Form II", the words, brackets and figure "Register referred to in sub-rule (2)" shall be substituted;

(B) in rule 5, for the words and figures "in Form III", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(C) in rule 6, for the words and figures "in Form IV and V respectively", the words, letters and figures "in Form D and Form B, respectively, specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(D) in rule 17, in sub-rule (3), for the words and figures "in Form IX", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(E) in rule 18, in sub-rule (3), for the words and figure "in Form X", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(F) Form II, Form III, Form IV, Form V, Form IX and Form X shall be omitted;

(viii) in the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956,-

(A) in rule 3, in sub-rule (1), for the words and figure "in Form I", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(B) in rule 4, for the words and figures "in Form II", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(C) in rule 5, for the words and figures "in Form III", the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(D) in rule 17, in sub-rule (1), for the words, letter and figures "in Form IV-A" occurring at both the places, the words, letter and figures "in Form B specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted, respectively;

(E) in rule 19, in sub-rule (3), for the words and figures "in Form VI", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(F) Form I, Form II, Form III, Form IV-A and Form VI shall be omitted;

(ix) in the Payment of Wages (Railways) Rules, 1938,-

(A) in rule 3, in sub-rule (1), for the words and figure "in Form I", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(B) in rule 4, in sub-rule (1), for the words and figures "in Form II", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(C) in rule 18, in sub-rule (3), for the words and figures "in Form V", the words, letter and figures "in Form C specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(D) Form I, Form II and Form V shall be omitted;

(x) in the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Rules, 1976,-

(A) in rule 23,-

(a) in clause (a), for the words and letter "in Form B", the words, letter and figures "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(b) in clause (c), for the words and letter "in Form D", the words, letter and figures "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(c) in clause (d), for the words and letter "in Form E", the words, letter and figures "in Form E specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(B) Form B, Form D and Form E shall be omitted;

(xi) in the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Rules, 1957,-

(A) in rule 37,-

(a)in clause (i), for the words and letter "in Form D", the words, letter and figures "in Form A specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(b) in clause (iii), for the words "in Form F", the words, letter and figures "in Form E specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted;

(c)in clause (iv), for the words "in Form G", the words, letter and figures "in Form D specified in the Schedule to the Ease of Compliance to Maintain Registers under various Labour Laws Rules, 2016" shall be substituted; and

(B) Form D, Form F and Form G shall be omitted.

Note:

(1) The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998 was published in the Gazette India vide GSR-689(E) dated 19.11.1998 and was lastly amended by GSR-47(E) dated10.06.2015;

(2) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 was published in the Gazette India vide GSR-191 dated 10.02.1971 and was lastly amended by GSR-41(E) dated 21.01.1999;

(3) The Equal Remuneration Rules, 1976 was published in the Gazette India vide GSR-119(E) dated 11.03.1976 and was lastly amended by GSR 514(E) dated 31.07.1991.

(4) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980 was published in the Gazette India vide GSR-513(E) dated 11.08.1980 and was lastly amended by S.O 1614(E) dated16.11.2015.

(5) The Mines Rules, 1955 was published in the Gazette India vide S.O. 1421 dated 02.07.1955 and was lastly amended by GSR-707 dated 21.07.1989.

(6) The Minimum Wages (Central) Rules, 1950 was published in the Gazette India vide SRO 776 dated 14.10.1950 and was lastly amended by S.O 182(E) dated 11.03.2015.

(7) The Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968 was published in the Gazette India vide S.O. 3036/PWA/A/Air Service Rules 68 dated 05.08.1968 and was lastly amended by GSR-352(E) .dated 01.05.2015.

(8) The Payment of Wages (Mines) Rules, 1956 was published in the Gazette India vide SRO 776 dated 30.11.1956 and was lastly amended by GSR-351(E) dated01.05.2015.

(9) The Payment of Wage (Railways) Rules, 1938 was published in the Gazette India vide L-3070(1) dated 05.05.1938 and was lastly amended by GSR-353(E) dated 01.05.2015.

(10) The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Rules, 1976 was published in the Gazette India vide S.O. 113(E) dated 08.03.1976 and was lastly amended by S.O. 217(E) dated 24.02.2011 and

(11) The Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Rules, 1957 was published in the Gazette India vide SRO 1737 dated 23.05.1957 and was lastly amended by S.O 889(E) dated 11.11.1980.

THE SCHEDULE

[See rule 2(1)]

FORM A

FORMAT OF EMPLOYEE REGISTER

[Part-A: For all Establishment]

Name of the Establsihment____ LIN_____________________________

Sl No	Employee Code	Name	Surname	Father's Name	Date of Birth*	Nationality	Education Level	Date of Joining	Designation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Category	Type of Employment	Mobile	UAN	PAN	ESIC IP	LWF	AADHAR	Present Address	Permanent Address
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Service Book No	Date of Exit	Reason for Exit	Mark of Identification	Photo	Specimen Signature	Remarks
21	22	23	24	25	26	27

Note: In case the age is between 14 to 18 years, mention the nature of work, daily hours of work and Intervals of rest in the Remarks Column.

PART B (FOR MINES ACT, 1952 (35 of 1952) ONLY)

Sl Number In Employee Register	Name	Token Number Issued	Certificate of age/fitness taken (for 14 to 18 years)	Place of Employment (Underground/Open cast/Surface)	Certificate of vocational Training Number	Date
1	2	3	4	5	6	7

Nominee		Person to be contacted in case of Emergency			Remarks
Name	Address	Name	Address	Mobile	
8	9	10	11	12	13

FORM B

FORMAT FOR WAGE REGISTER

Rate of Minimum Wages and since the date.............				
	Highly Skilled	Skilled	Semi Skilled	Un Skilled
Minimum Basic				
DA				
Overtime				

Name of the Establishment____ LIN________________________________

Wage period From To (Monthly/Fortnightly/Weekly/Daily/Piece Rated)

Sl No In Employee register	Name	No of Days worked	Overtime hours worked	Basic	Spl Basic	DA	Payments Overtime	HRA	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Deductions PF	ESIC	Income Tax	Society	Insurance	Others	Recoveries	Total	Net Payment	Employer Share PF Welfare Fund
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Receipt by Employee	Date of Payment	Remarks
22	23	24

FORM C

FORMAT OF REGISTER OF LOANS RECOVERIES

Name of Establsihment____LIN__________________________________

Sl Number In Employee register	Name	Recovery Type (Damage/loss/fine/advance/loans)	Particulars	Date of damage/Loss*	Amount
1	2	3	4	5	6

Whether show cause issued*	Explanation heard In presence of*	Number of Instalments	First Month/year	Last Month/year	Date of complete Recovery	Remarks
7	8	9	10	11	12	13

*Applicable only in case of damage/loss/fine

FORM D

FORMAT OF ATTENDANCE REGISTER

Name of Establishment____ LIN ____________________________

For the Period From To

Sl Number In Employee register	Name	Place of Work*	IN OUT	Dates 1 2 3 4 31	Summary No of Days worked	No of hours worked
1	2	3	4	5	6	7

*Place of Work in case of Mines only (Underground/Opencast/Surface)

In case an employee is not present the following to be entered: (R for Rest/L for Paid Leave/A for absent/O for Weekly Off/C for Establishment Closed)

FORM E

FORMAT OF REGISTER OF REST/LEAVE/LEAVE WAGES UNDER 3

THE MINES ACT, 1952, THE SALES PROMOTION EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1976 AND THE WORKING JOURNALISTS (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1957

Name of Establishments____ **LIN**______________________________

For the Month **Year**

Sl Number in Employee register	Name	Details of Compensatory Rest			
		Opening Balance	Rest Not allowed	Rest Availed	Closing Balance
1	2	3	4	5	6

Details of Earned Leave			Leave Wages			Remarks
Opening Balance	Leave Availed	Closing Balance	Due	Actually Paid	Date of Payment	
7	8	9	10	11	12	13

Note : The Register for the month of January for the year will show the Leave Opening Balance for the year also and for the month December will show the Closing Balance for the year.

[No. Z-20025/27/2016-LRC]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.07 23:14:12 +05'30'